

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "40%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(फाइल संख्या 354/68/2006- टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक जून 30, 2017, को सा.नि.का.785(अ), दिनांक जून 30, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि. 247 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।